

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

जल संसाधन विभाग के अधिसूचना सं०-3086 दिनांक-12.06.2013 द्वारा सुवर्णरेखा परियोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यालयों के पुनर्गठन के क्रम में आवंटनादेश सं०-08 दिनांक-10.04.2013 द्वारा लघु वितरणी प्रमंडल सं०-4, गालूडीह को गैरयोजना शीर्ष 2700 के विभिन्न ईकाई मदों में प्रदत्त आवंटन पुनर्नामित कार्यालय लघु वितरणी प्रमंडल सं०-4, गालूडीह शिविर हाता के लिए मान्य होगा। इसकी निकासी पुनर्नामित कार्यालय से संबंधित कोषागार (जमशेदपुर) से की जायेगी।

ह०/-
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :-

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/जमशेदपुर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव।

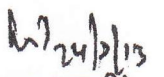
ज्ञापांक :-

4089

रॉची, दिनांक :- 25.8.13

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, सुवर्णरेखा भवन, आदित्यपुर, जमशेदपुर/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/मुख्य अभियंता, चांडिल कम्प्लेक्स/ईचा-गालूडीह कम्प्लेक्स/संबंधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, लघु वितरणी प्रमंडल सं०-4, गालूडीह शिविर हाता/सुवर्णरेखा डेस्क, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव।